

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-24032023-244645
SG-DL-E-24032023-244645

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

| | | |
|----------|---|----------------------------|
| सं. 101] | दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 23, 2023/चैत्र 2, 1945 | [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 578 |
| No. 101] | DELHI, THURSDAY, MARCH 23, 2023/CHAITRA 2, 1945 | [N. C. T. D. No. 578 |

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 23 मार्च, 2023

फा. सं. 14 (84)/LA-2023/dsadvise/217-224- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के निम्नलिखित अधिनियम ने उप-राज्यपाल की सहमति दिनांक 23rd March, 2023 को प्राप्त कर ली है और इसे जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है -

दिल्ली विनियोग (संख्या 2) अधिनियम, 2023

(2023 का दिल्ली अधिनियम 08)

(22 March, 2023 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित)

{23 March, 2023}

वर्ष 2022-2023 से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से भुगतान प्राधिकृत करने तथा कुछ और राशि का विनियोजन करने के लिए एक अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त शीर्षक

₹ 159,16,54,000 /- का वर्ष 2022-2023 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली विनियोग (संख्या 2) अधिनियम 2023 है।
2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभारों की अदायगी के लिए एक सौ उनसठ करोड़ सोलह लाख चौवन हजार रुपयों की कुल राशि के बराबर है, जो अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यों के सम्बन्ध में वर्ष 2022-2023 की अवधि के दौरान भुगतान के रूप में प्रयुक्त होंगी।

विनियोजन

3. इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त अवधि के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों के लिए विनियोजित की जायेगी।

अनुसूची

(धारा 2 और धारा 3 देखिए)

(हजार में)

निम्नलिखित से अनाधिक राशियाँ

| अनुदान संख्या | सेवाएं और प्रयोजन | | विधान सभा द्वारा अनुदत्त | संचित निधि पर भारित | योग |
|---------------|---------------------------|--------|--------------------------|---------------------|---------|
| I | II | | III | IV | V |
| 2 | सामान्य प्रशासन | राजस्व | 100 | 0 | 100 |
| 4 | वित्त | राजस्व | 1700 | 0 | 1700 |
| 6 | शिक्षा | राजस्व | 1000 | 0 | 1000 |
| | | पूँजी | 100 | 0 | 100 |
| 7 | चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य | राजस्व | 1000 | 0 | 1000 |
| | समाज कल्याण | राजस्व | 600 | 5 | 605 |
| 8 | | | | | |
| 9 | उद्योग | राजस्व | 100 | 0 | 100 |
| 10 | विकास | राजस्व | 1586149 | 0 | 1586149 |
| | | राजस्व | 100 | 0 | 100 |
| 11 | शहरी विकास और लोक निर्माण | पूँजी | 800 | 0 | 800 |
| | योग | | 1591649 | 5 | 1591654 |

भरत पाराशर, प्रधान सचिव

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS**NOTIFICATION**

Delhi, the 23rd March, 2023

F.14(84)/LA-2023/dsadvic/217-224.—The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi on the 23rd March, 2023 and is hereby published for general information:—

“THE DELHI APPROPRIATION (No. 2) ACT, 2023”

(DELHI ACT NO. 08 OF 2023)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 22nd March, 2023).

[23rd March, 2023]

An Act to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the services in respect of the financial year 2022-2023.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Delhi Appropriation (No. 2) Act, 2023.

Issue of ₹ 159,16,54,000/- from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the financial year 2022-2023.

2. From and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column (5) of the Schedule, amounting in the aggregate to the sum of **Rupees one hundred fifty nine crore sixteen lakh fifty four thousand only** towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2022-2023 in respect of the services specified in column (2) of the Schedule.

Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

THE SCHEDULE

(See sections 2 and 3)

(` In thousand)
SUMS NOT EXCEEDING

| Demand No. | Services and Purposes | | Voted by the Legislative Assembly | Charged on the Consolidated Fund | Total |
|------------|---------------------------|---------|-----------------------------------|----------------------------------|-------|
| I | II | | III | IV | V |
| 2 | General Administration | Revenue | 100 | 0 | 100 |
| 4 | Finance | Revenue | 1700 | 0 | 1700 |
| 6 | Education | Revenue | 1000 | 0 | 1000 |
| | | Capital | 100 | 0 | 100 |
| 7 | Medical and Public Health | Revenue | 1000 | 0 | 1000 |

| | | | | | |
|----|------------------------------------|---------|---------|---|---------|
| 8 | Social Welfare | Revenue | 600 | 5 | 605 |
| 9 | Industries | Revenue | 100 | 0 | 100 |
| 10 | Development | Revenue | 1586149 | 0 | 1586149 |
| 11 | Urban Development and Public Works | Revenue | 100 | 0 | 100 |
| | | Capital | 800 | 0 | 800 |
| | Total | | 1591649 | 5 | 1591654 |

BHARAT PARASHAR, Principal Secy.